

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3359
07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए निधियों का आवंटन

†3359. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केरल में विगत पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत आरएमएनसीएच, संक्रामक रोग, टीबी, वन हेल्थ, एनसीडी, एचआईवी/एड्स तथा स्वास्थ्य प्रणाली संबंधी घटकों जैसे विभिन्न उप-कार्यक्रमों के लिए वर्ष-वार आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त वर्षों के दौरान केरल में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त वर्षों के दौरान केरल में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) उक्त वर्षों के दौरान केरल में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): सभी नागरिकों को समान, किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढीकरण, स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता तथा विशेष रूप से अल्पसेवित और वंचित समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं पहुँच में सुधार हेतु केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य के विषय है। अतः सभी नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी केरल सहित संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

व्यय विभाग के दिनांक 23.12.2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 से सभी पूलों एवं कार्यक्रमों का विलय "आरसीएच एवं स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हेतु फ्लेक्सिबल पूल" के अंतर्गत कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में अनुमोदित क्रियाकलापों के लिए फ्लेक्सिबल पूलों के अंतर्गत एकमुश्त आधार पर निधियाँ जारी की जाती हैं, ताकि राज्यों को अपनी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप निधियों के उपयोग में अधिक स्वतंत्रता मिल सके। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केरल राज्य के लिए आरसीएच एवं स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हेतु फ्लेक्सिबल पूल के अंतर्गत एसपीआईपी अनुमोदन एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	एसपीआईपी मंजूरी	खर्च में राज्यों का अंशदान शामिल है (आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लेक्सिबल पूल)
2021-22	1,020.77	801.36
2022-23	1,791.33	1,120.60
2023-24	2,100.70	770.75
2024-25	1,527.34	930.84
2025-26	1,612.46	1,160.48

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त आँकड़े राज्य द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों (एफएमआर) पर आधारित हैं तथा अनंतिम हैं।
2. व्यय में केंद्र सरकार द्वारा निर्गत निधि, राज्य सरकार द्वारा निर्गत निधि तथा वर्ष के आरंभ में उपलब्ध अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष किया गया व्यय सम्मिलित है। व्यय के आँकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों (एफएमआर) पर आधारित हैं तथा अनंतिम हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के लिए वित्तपोषण पूर्णतः मांग-आधारित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियाँ, पूर्व में जारी निधियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों तथा संबंधित राज्य से प्राप्त निधि की मांग के

आधार पर जारी की जाती हैं। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत केरल राज्य को निर्गत निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	केंद्रीय निर्गत
2021-22	138.90
2022-23	151.34
2023-24	155.49
2024-25	153.28
2025-26	173.26

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके अंतर्गत एबीडीएम के लिए तैनात मानव संसाधन (एचआर), विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण (आईईसी-सीबी) तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अंतर्गत केरल राज्य के लिए आवंटित एवं उपयोग की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
2021-22	0.55	0.00
2022-23	4.81	0.78
2023-24	5.25	1.72
2024-25	3.35	1.55
2025-26	2.87	1.95

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य देश में किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधा केंद्रों का विस्तार करना है। और, इस योजना के अंतर्गत केरल राज्य सरकार को कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।
